बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग

19, हार्डिग रोड, पटना–01

सं०:–03 / BTSC-48/2019

पत्रांकः– 1082

दि०:– 4-10-2019

शुद्धि–पत्र

स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' एवं ट्यूटर के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०–02 / 2019 में स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में निम्नलिखित कंडिकाओं में संशोधन किया जाता है:–

(1) **क**–कंडिका 01 का उपकंडिका (1) में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता–
भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली / स्वास्थ्य विभाग बिहार से मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर अवधारित अवधि का जी०एन०एम० में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण। (स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–948 (6) दिनांक– 29.04.2019)

ख–वैसे अभ्यर्थी जो बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् से निबंधित नहीं है वे आयोग द्वारा काउंसेलिंग सह सत्यापन के समय तक अनिवार्य रूप से निवंधन करा लेंगे तथा निबंधन पत्र के साथ काउंसेलिंग में भाग लेंगे। (स्वास्थ्य विभाग के आदेश ज्ञापांक–1017 (6) दिनांक– 08.08.2019)

(2) **क**–कंडिका–2 (i) आयुसीमा– दिनांक– 01.08.2019 को न्यूनतम 21 वर्ष किया जाता है। (स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–974 (6) दिनांक– 02.08.2019)

ख–कंडिका–2 अन्तर्गत सवकंडिका (vi) के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–212, दिनांक– 23.01.2006 के आलोक में उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता / पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 04 (चार) वर्षो का छूट अनुमान्य होगा, अंकित किया जाता है।

ग–कंडिका–2 (iv)– अधिकतम उम्र सीमा में कोटिवार अधिकतम 5 वर्षो का छूट अनुमान्य होगा (स्वास्थ्य विभाग के आदेश ज्ञापांक–1019 (6) दिनांक– 08.08.2019)।

(3) विज्ञापन की कंडिका 8 (ख)– अन्तर्गत कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र के साथ–साथ वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक / निदेशक / उपाधीक्षक तथा सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकार होंगें। (स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–1018 (6) दिनांक– 08.08.2019)

(4) **क**–कंडिका–4 (iv)– बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों / संस्थानों में संविदा के आधार पर नियुक्त एवं वहन ट्यूटर / ट्यूटर के रूप में कार्यरत कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में कोटिवार अधिकतम 15 वर्षो का छूट अनुमान्य होगा (स्वास्थ्य विभाग के आदेश ज्ञापांक–1020 (6) दिनांक– 08.08.2019)।

ख–कंडिका–4 का (iv)– बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों / संस्थानों में वहन ट्यूटर / ट्यूटर के रूप में **प्रतिनियुक्ति** नियमित कर्मी को विज्ञापन की कंडिका–5 (iii) में कार्यानुभव के लिए निर्धारित अंक का लाभ देय होगा।
(स्वास्थ्य विभाग के आदेश ज्ञापांक–973 (6) दिनांक– 02.08.2019)

उक्त विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4.10.2019

उप सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।